न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 43/2014 (उदयपुर डिक्री)

1. श्री नका पिता श्री काना पारगी भील निवासी वागडा तहसील झाड़ोल जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री लच्छिया पिता नका पारगी भील निवासी वागडा तहसील झाड़ोल जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री शंकर पिता नका पारगी भील निवासी वागडा तहसील झाड़ोल जिला उदयपुर (राज0)
4. श्री प्रथा पिता नका पारगी भील निवासी वागडा तहसील झाड़ोल जिला उदयपुर (राज0)
5. श्रीमती रोशनी पत्नी लच्छिया पारगी भील निवासी वागडा तहसील झाड़ोल जिला उदयपुर (राज0)
6. श्रीमती सवली पत्नी प्रथा पारगी भील निवासी वागडा तहसील झाड़ोल जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री नानालाल पिता रामा जी भील निवासी वागड़ा तहसील झाड़ोल जिला उदयपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी झाड़ोल दिनांक 14–05–2014 प्रकरण
संख्या 61/2013 रेवेन्यू वाद

———

उपस्थित :–1–श्री सुरेश त्रिवेदी अभिभाषक अपीलान्ट्स
2–श्री मनीष शर्मा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

———/———

निर्णय **दिनांक 09–11–2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट वादी द्वारा अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या–1 से 6 तथा भेरकी पत्नी शंकर प्रतिवादी संख्या–7 के विरूद्ध धारा 188, 92–ए राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम 1955 का वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम वागड़ा में वादपत्र की कलम संख्या–1 में वर्णित कुल आराजीायात किता–2 रकबा .45 हैक्टर भूमि वादी के खातेदारी की है तथा वह उक्त भूमि से चारा काटता है तथा विवादित भूमि उसके स्वत्व व कब्जे की है। प्रतिवादीगण उसे बेज़ा बलपूर्वक बेदखल करना चाहते है तथा दिनांक 30–6–2013 को उन्होंने सशस्त्र इस हेतु प्रयास किया। अतएव उसे स्थाई निषेधाज्ञा व धारा–209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उचित विधिक अनुतोष दिलवाया जाय।

प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट की और से अधिवक्ता ने उपस्थिति दी तथा जवाब हेतु अवसर चाहे। 10 से भी ज्यादा अवसर दिनांक 5–8–2013 से 13–1–2014 तक देने के बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13–1–2014 को जवाब बन्द कर दिया तथा दिनांक 14–5–2014 को वादी का वाद डिक्री करते हुए स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री व आदेश पारित किया। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या–1 से 6 द्वारा दिनांक 27–8–2014 को यह अपील पेश की।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसे अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 19–8–2014 को रेस्पोन्डेन्ट द्वारा कब्जा छोड़ने की धमकी देने पर उसे अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी हुई। अतएव मयाद कण्डोन की जाय।

अपीलान्ट द्वारा मयाद कण्डोन के आवेदन के साथ दिये गये अखण्डित शपथ पत्र, न्यायहित व अत्यल्प विलम्ब को कण्डोन किया जाकर अपील श्रृवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की और से अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा द्वारा वकालत पत्र प्रस्तुत किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने की प्रार्थना की, वहीं अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि विवादित भूमि रस्पोन्डेन्ट वादी को गैरखातेदार से आवंटित हुई, जबकि विवादित भूमि पर उसका कब्जा चला आ रहा था। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा सूचना नहीं देने से उसका जवाब बन्द कर दिया गया, जबकि भूमि पर अपीलान्ट ही काबिज है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को जवाब प्रस्तुत किये जाने हेतु पर्याप्त अवसर देने के बाद जवाब बन्द किया गया है। अपीलान्ट ने उसका कोई रिवीजन नहीं किया है। अतएव यह आधार मान्य नहीं है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय व इस न्यायालय में भी उसके कब्जा होने बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अतएव विधिक आवंटी गैर–खातेदार का कब्जा माना जाना विधिसंगत है।

अधिनस्थ न्यायालय ने स्वत्वधारी व कब्जे बाबत् प्रतिवादी का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण स्वत्वधारी विधिक आवंटी का कब्जा मानकर जो स्थाई निषेधाज्ञा जारी की है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14–5–2014 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09–11–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ. .....मुकाम ..... उदयपुर व इजलास ..... एल.एन. मंत्री आर.ए.एस. .....

1–श्री नका पिता काना पारगी भील निवासी वागड़ा तहसील झाड़ोल जिला उदयपुर व अन्य–5	बनाम	**श्री नानालाल पिता रामा जी भील निवासी वागड़ा तहसील झाड़ोल जिला उदयपुर**

अपील नं0 **43 / 2014** बनाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी** .....**झाड़ोल** .....मुकाम मुक्र्खे.....**14**.....माह.....**05**.....**2014**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**09**..... माह .....**11**..... सन् .....**2017** .....रूबरू . .....पक्षकारान व हाजरी .....**श्री सुरेश त्रिवेदी** ..... मिनजानिब अपीलान्ट व . .....**श्री मनीष शर्मा** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14–5–2014 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**09**..... माह .....**11**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।